16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1676—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04.02.14 के द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 9/अ—12/13—14.

....

श्री निवास शुक्ला पुत्र बृजमोहन शुक्ला
निवासी—ग्राम बुसील तहसील सेमरिया
जिला—रीवा म0प्र0

.............आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती रमा पाण्डेय पत्नी राम शिरोमणी पाण्डेय
निवासिन ग्राम अटरिया तहसील सेमरिया जिला
रीवा म0प्र0

................अनावेदक

....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 21-12-17 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के विरूद्ध आदेश दिनांक 04—02—14 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– आवेदिका श्रीमती रमादेवी पाण्डेय पत्नी श्री राम शिरोमणि पाण्डेय द्वारा ग्राम अटरिया तह0 सेमरिया की आराजी नम्बर 376/2, 315/1 रकवा के अनुसार 0.13 व 0.162 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक सेमरिया द्वारा सभी पक्षो को सूचना देकर अपना सीमांकन प्रतिवेदन परिशिष्ट –पी 1 से परिशिष्ट पी– 4 तक प्रस्तुत किया। श्री निवास शुक्ला पिता बृजमोहन प्रसाद शुक्ला द्वारा न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा में प्रकरण को अन्तरित किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा में प्रकरण को अन्तरित किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा के प्रकरण तहसील रीवा को प्राप्त हुआ। उभय पक्षो को तलब किया गया । आपत्तिकर्ता श्री निवास शुक्ला के आपत्ति का जबाब आवेदक द्वारा दिया गया जो प्रकरण में संलग्न है । प्रकरण में उभय पक्षो के तर्क सुनने के उपरांत पाया जाता है कि आपत्तिकर्ता ने राजस्व निरीक्षक पर इस आशय की आपत्ति की है कि सरहदी कास्तकारो को बिना सूचना दिये अवैधानिक तरीके से सीमांकन कार्य किया गया जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया स्थल पंचनामा में राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। स्थल पंचनामा में राजस्व निरीक्षक ने लेख किया है कि आपत्तिकर्ता के भाई मौके पर मौजूद थे। हस्ताक्षर करने से इंकार किया। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति की, आपत्ति स्वयंमेव निरस्त हो जाती है। चूंकि सीमांकन एक प्रशासनिक प्रकिया है। प्रत्येक भूमिस्वामी को अपनी सीमा जानने का अधिकार है । आपत्तिकर्ता यदि अपनी भूमि की सीमा जानन चाहता है, तो राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रादर्श पी 1 से पी 4 वैधानिक होने पर प्रमाणित किया गया है जो उचित प्रतीत होता है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार हुजूर जिला रीवा का प्रकरण क्रमांक 9/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 4.2.14 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर